

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2016/माघ 7, 1937

No. 215]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016/MAGHA 7, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

का.आ. 244(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20च की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, सारण (छपरा) को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् “मढ़ौरा में डीज़ल रेलइंजन विनिर्माण इकाई” की स्थापना के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन बिहार राज्य में उक्त विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए मध्यस्थ के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. 2015/एम(डब्ल्यू)/964/125/लैंड इश्यु]

रविन्दर गुप्ता, का.नि.यां इंजीनियरी (परियोजना)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2016

S.O. 244(E).—In exercise of power conferred under sub-section (6) of section 20F of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes Commissioner, Saran, (Chhapra) as an Arbitrator in respect of the Special Railway Project, namely, “Setting up of Diesel Locomotive manufacturing unit at Marhowra” for execution, maintenance, management and operation of the said Special Railway Project in the State of Bihar under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[F. No. 2015/M(W)/964/125/Land Issue]

RAVINDER GUPTA, EDME (Project)